मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016 (फाल्गुन 28, 1937)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले में अपात्र लोगों को इंदिरा आवास का आवंटन किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री के.पी.सिंह,सदस्य, शिवपुरी जिले के पिछोर क्षेत्र में हेडपंप एवं नल जल योजना बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे

(3) सर्वश्री शंकरलाल तिवारी, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रदेश के उद्यमिता विकास केन्द्र के दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर वाणिज्य,उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल नगर में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम जाखदा जागीर स्थित शासकीय भूमि पर कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य, मुरैना-ग्वालियर मार्ग पर खनिज माफिया द्वारा वन कर्मी की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, पिपलौदा तहसील अंतर्गत खोडाना तालाब का रख-रखाव न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र में पेयजल योजना बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री के. के. श्रीवास्तव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले स्थित महेन्द्र सागर तालाब बंधान क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, धरमपुरी क्षेत्र में नहर के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सुश्री हिना कांवरे, सदस्य, लांजी क्षेत्र के ग्राम कुआगोदी में वन अधिकार के तहत पट्टे न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(12) श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य, ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना के कैलारस शक्कर कारखाने द्वारा कृषकों एवं कर्मचारियों का भुगतान न होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री फुंदेलाल सिंह मार्को, सदस्य, पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में शौचालय निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य, बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर सूत मिल की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(16) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पाइप खरीदी में अनियमितता होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य, इंदौर में पिपल्याहाना तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में निर्माण होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) कुंवर सौरभ सिंह, श्री आरिफ अकील, सदस्य, मध्य प्रदेश दुग्ध संघ द्वारा पानी युक्त दूध का प्रदाय किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य, भोपाल में निजी भूमि की आड़ में वनों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(20) श्री वेलसिंह भूरिया, सदस्य, उमरिया जिले के ग्राम खुटारा में आदिवासी परिवार का मकान जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) सर्वश्री आरिफ अकील, ओमकार सिंह मरकाम, कैलाश चावला, सदस्य, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार होने की ओर अल्प संख्यक कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम ओदारी में पुलिया निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ट्रामा यूनिट का निर्माण न किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य, सिंगरौली जिले में स्थित औद्योगिक ईकाइयों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिले में उप संचालक कृषि द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(26) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के कुंवर चैन सिंह सागर बांध के डूब प्रभावितों के अलग-अलग गांवों में पुनर्वास से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम सांईखेड़ा में निर्मित प्रधानमंत्री सड़क की जर्जर स्थिति होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले की महान परियोजना में शासकीय धन का दुरूपयोग किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का दशम्, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश् तथा षोडश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री कैलाश चावला, सभापति, विशेषाधिकार समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के महारानी लक्ष्मीबाई शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला के भवन में नई फ्लोरिंग एवं छत की मरम्मत किये जाने,
(2) श्री वीर सिंह पंवार, सदस्य, विदिशा जिले के -
   (क) ग्राम अथाईखेड़ा में स्कूल के बीच पुलिया निर्माण कराये जाने,
   (ख) ग्राम अथाई खेड़ा से सियलपुर तक रोड स्वीकृत किये जाने,तथा
   (ग) ग्राम रमखिरिया से रूसल्ला तक नहर बढ़ाई जाने,
(3) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम पंचायत लड़ावद गांव से कालीसिंध रोड लाहोरी तक सड़क निर्माण किये जाने,
(4) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के-
   (क) ब्यावरा नगर के ए.बी. रोड से अस्पताल चौराहे तक मार्ग का दोहरीकरण एवं पुलिया का चौड़ीकरण कार्य किये जाने, तथा
   (ख) ग्राम चैनपुरा कलां से नरसिंहगढ़ मार्ग के मध्य स्थित नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(5) पं. रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के -
   (क) ग्राम बड़ागांव विकासखण्ड त्यौंथर के शा. पूर्व मा. विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
   (ख) ग्राम बरहट की शा. पूर्व मा. विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(6) श्री विजयसिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के-
   (क) ग्राम नागसिटी ढाबला मार्ग को डामरीकृत किये जाने, तथा
   (ख) ग्राम बहादपुरा के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(7) डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के लहार अंतर्गत आवारा पशु नील गायों को पकड़वाये या मरवाये जाने,
(8) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले में धरमपुरी के शा. माध्यमिक विद्यालय कुंजरोद का उन्नयन हाई स्कूल में किये जाने,
(9) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले में को-आपरेटिव बैंक का जिला मुख्यालय स्वीकृत कर शीघ्र स्थापित किये जाने,
(10) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के कस्बा बैड़िया को नगर पंचायत में सम्मिलित किये जाने,
(11) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले के -
   (क) ग्राम बहेरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
   (ख) सीधी खुर्द में शा.उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन बनाये जाने,
(12) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के -
   (क) मधुसूदनगढ़ सुठालिया रोड से ग्राम बालाखेड़ी तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा
   (ख) ग्राम घाटी गांव मजरा लम्बाचक में तालाब बनाये जाने,
(13) श्री चैतराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम बाकुड़ हाई स्कूल के बीच नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,
(14) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य मुरैना जिले के ग्राम पंचायत बरेथा से चक्रभान का पुरा जनपद पंचायत में सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,
(15) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
   (क)ग्राम पंचायत भानपुरा में बिजली लगाये जाने, तथा
   (ख) खरगापुर में व्यवहार न्यायालय (जे.एम.एफ.सी.) कोर्ट प्रांरभ कराये जाने,
(16) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ओरछा की पूर्व माध्यमिक कन्या शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(17) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले में तेंदूखेड़ा के शासकीय महाविद्यालय में 3 फेस की विद्युत लाईन पहुंचाये जाने,
(18) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम नारायणपुरा की माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(19) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, अशोकनगर जिले के ग्राम कुम्हरी मतावली सहित अन्य ग्रामों में नवीन रोड निर्माण किये जाने,
(20) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य, होशंगाबाद जिले के शा. माखनलाल चतुर्वेदी महा. बाबई में सभी संकाय नियमित रूप से संचालित करने हेतु अतिथि विद्वान की नियुक्ति किये जाने,

(21) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम रनछोरपुरा में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कराये जाने,
(22) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम मुड़िया मड़ोद वि.ख. मझौली के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(23) श्री सुशील कुमार तिवारी (इन्दू भैया), सदस्य, जबलपुर जिले के -
(क) ग्राम पंचायत सूरतलाई से पड़वार खुर्द तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम मोहनिया से कुशनेर तक रोड का निर्माण किये जाने,
(24) श्री कुंवरसिंह टेकाम, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत निगरी के हरिजन बस्ती बाहुल्य क्षेत्र में सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने,
(25) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम वनसुकली में बनास नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
(26) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम जाखदा में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री विद्यालय में उन्नयन कराये जाने,
(27) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के खामलिया के मिडिल स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(28) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम बोदा मानगढ़ को माला से सिग्रामपुर मुख्य मार्ग से जोड़े जाने,
(29) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम हैदरगढ़ मडोईया मंदिर स्थित बस्ती के आस-पास एक नवीन हैण्ड पंप खनन किये जाने,
(30) श्री गोविंद सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के-
(क) सांईखेड़ा के शा. कन्या मा. शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) ग्राम घनौरा से आड़ेगांव तक सड़क बनाये जाने,
(31) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले के उर्मलिया टोला में एक हैण्ड पंप खनन कराये जाने,
(32) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले के -
(क) ग्राम सेमली ईस्तमुरार में हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने, तथा
(ख) ग्राम खिमलाब्लाक, भीमपुरा, गुगलखेड़ा अन्य ग्रामों को गांधी सागर बांधसिंचाई उद्धवहन परियोजना से पानी दिये जाने,
(33) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम पंचायत देवगांव में एक जलाशय का निर्माण किये जाने,
(34) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम उमरिया,तिलवोड़ी,सूखामाल एवं अन्य ग्रामों में हाई स्कूल प्रारंभ किये जाने,
(35) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम बेटीखेड़ी में हाई स्कूल स्थापित किये जाने,
(36) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम रामपुर को पिपरवार से जोड़ने हेतु पकड़ियार नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
(37) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल शहर की रेल्वे कोच फैक्ट्री रोड से राजेन्द्र नगर मुख्यालय मार्ग पर फुटपाथ एवं नाली बनाये जाने,
(38) श्री संजय उईके, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम सुरवाही रमगढ़ी से मण्डई तक की सड़क का पुन: निर्माण किये जाने,
(39) श्री घनश्याम पिरौनियां, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम बड़ेरा हवेली से कल्याणपुरा बुर्जुग तक सड़क बनाये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति

श्री कैलाश चावला, सभापति, विशेषाधिकार समिति निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे ---

"यह सदन आज दिनांक 18 मार्च, 2016 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदनों पर विचार कर उन्हें स्वीकार करे.".

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

8. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

(1) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घंटा

"सदन का यह मत है कि प्रदेश की सड़कों के रख-रखाव व मरम्मत आदि कार्य के लिये एक कैलेंडर बनाया जाये जिसमें जुलाई - अगस्त में सड़कों का निरीक्षण कर उचित रख-रखाव, सितंबर माह में खराब सड़कों की जानकारी व टेंडर आदि प्रक्रिया तथा अक्टूबर-नवंबर माह में मरम्मत/पैचवर्क आदि कार्य किये जायें.".

(2) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मिनट

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि खजुराहो हवाई अड्डे का नाम महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखा जाए.".

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मिनट

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़वाकर बाहर जंगलों में भेजे जाने की समुचित व्यवस्था शासन द्वारा की जाये.".

(4) सर्वश्री दिव्यराज सिंह, शंकरलाल तिवारी, महेश राय, निशंक कुमार जैन, वीरसिंह पंवार, कल्याण सिंह ठाकुर, अशोक रोहाणी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

45 मिनट

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि :-

(i) "डभौरा" रेल्वे स्टेशन को डी.आर.एम.झांसी से हटाकर डी.आर.एम. जबलपुर से संबद्ध किया जाये,

(ii) रीवा से इलाहाबाद के लिये सतना होकर नई इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाये,

(iii) राज्यरानी एक्सप्रेस गाड़ी नं. 22161 /22162 एवं विन्ध्याचल एक्सप्रेस गाड़ी नं 11271 / 11272 को भोपाल स्टेशन से बढ़ाकर हबीबगंज स्टेशन तक किया जाये, तथा

(iv) रांझी से लेकर भेड़ाघाट स्टेशन तक नागरिकों के आवागमन की सुविधा हेतु डी.एम.यू. शटल (लोकल) ट्रेन चलाई जाये.".

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 17 मार्च, 2016